

**..... समिति के कार्यक्षेत्र की
अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 4 सन् 2009) की धारा 6 की उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले.....

.....
(कुलाबों पर कुलाबा समितियों/अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका स

मितियों/रजबहों पर बनी रजबहा समितियों/फेडरेटेड अल्पिका समितियों/शाखा पर बनी शाखा समितियों/फेडरेटेड रजबहा समितियों/मुख्य नहर पर बनी परियोजना समिति)

के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है:

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नामसमिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे०)

टिप्पणी :- उक्तसमितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेखके खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सक्षम नहर अधिकारी
एवं अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

.....समिति के परिचालन क्षेत्र का प्रकाशन

निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना एतद्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित कर दी गई है जिसकी प्रति(खण्ड का नाम) कार्यालय पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।समिति अथवा भू-धारक/सदस्यों को यदिसमिति के कार्यक्षेत्र पर आपत्ति हो तो दिनांकतक अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में दे सकते हैं-

अनुसूची

क्र.सं.	पैतृक नहर का नाम समिति का नाम	क्र.सं.	पैतृक नहर का नाम समिति का नाम	क्र.सं.	पैतृक नहर का नाम समिति का नाम

सक्षम नहर अधिकारी

.....
.....
.....

परिशिष्ट-4

.....समिति के परिचालन क्षेत्र के उपान्तरण का प्रकाशन

.....समिति के परिचालन क्षेत्र में निम्नालिखित अनुसूची के अनुसार उपान्तरण किया गया है। सम्बन्धितसमितियों तथा सम्बन्धित कृषकों को उपान्तरण पर यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक तक अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में दे सकते हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नामसमिति का नाम	मूल परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे०)	उपान्तरित परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे०)

टिप्पणी:— उक्त उपान्तरित क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख खण्डीय कार्यालय पर देखा जा सकता है।

सक्षम नहर अधिकारी

.....
.....
.....

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत समिति
की प्रबन्धन समिति के गठन की कार्यवाही

..... समिति.....का गठन

दिनांकको समितिके पदाधिकारियों के चयन हेतु आहूत बैठक
में समितिके निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए।

क्र0	नाम	पिता का नाम	पता	उपकमाण्ड संख्या/रीच	हस्ताक्षर	मोबाइल सं0	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

उक्त बैठक की अध्यक्षता श्री, सक्षम नहर अधिकारी (..... अभियन्ता)
.....के द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित निर्वाचित सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई
प्रबंधन नियमावली, 2010 के नियम संख्या 6(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को
समिति की प्रबंधन समिति के पदाधिकारी के रूप में चयन किया गया।

क्र0	नाम	पिता का नाम	पदनाम	पता	उपकमाण्ड संख्या/रीच	कार्यकाल	कार्यकाल की अन्तिम तिथि	टिप्पणी
1			अध्यक्ष			2 वर्ष		
2.			सचिव			2 वर्ष		
3.			कोषाध्यक्ष			2 वर्ष		

उक्तानुसार पदाधिकारियों के चयन होने के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी श्री.....(.....
.... अभियन्ता) द्वारा दिनांकको समितिकी प्रबंधन समिति का
गठन 6 वर्षों तथा पदाधिकारियों का चयन 2 वर्षों के लिये किया गया।

रिक्त पदों पर नवीन सदस्यों के निर्वाचन अथवा पदाधिकारियों के परिवर्तन से इस समिति
का गठन प्रभावित नहीं होगा।

हस्ताक्षर
सक्षम नहर अधिकारी / अभियन्ता

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष जल उपभोक्ता समिति / ऊपरी जल उपभोक्ता समिति।
2. समिति के निबन्धक अधिकारी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गतसमिति
की प्रबन्धन समिति हेतु आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के सहयोजन की कार्यवाही
..... समिति.....हेतु आरक्षित श्रेणी के सदस्यों का सहयोजन

दिनांकको समितिके आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के सहयोजन हेतु आहूत बैठक में समितिके निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए।

क्र0	नाम	पिता का नाम	पता	उपकमाण्ड संख्या/रीच	हस्ताक्षर	मोबाइल सं0	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

उक्त बैठक की अध्यक्षता श्रीके द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित निर्वाचित सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा 8 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं अध्यक्ष, जल प्रबन्धन समिति, ग्राम पंचायत..... /अल्पिका टेल पर स्थित ग्राम पंचायत..... के सदस्य/रजबहा के टेल पर स्थित क्षेत्र पंचायत..... के सदस्य/शाखा के टेल पर स्थित जिला पंचायत..... के सदस्य का सहयोजन निम्नानुसार किया गया।

क्र0	सहयोजित सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	सहयोजित सदस्य की श्रेणी	टिप्पणी
1					
2.					

उक्तानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं अध्यक्ष, जल प्रबन्धन समिति, ग्राम पंचायत...../अल्पिका टेल पर स्थित ग्राम पंचायत..... के सदस्य/रजबहा के टेल पर स्थित क्षेत्र पंचायत..... के सदस्य/शाखा के टेल पर स्थित जिला पंचायत..... का सहयोजन किया गया।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष.....समिति

प्रतिलिपि-

1. सक्षम नहर अधिकारी/ऊपरी जल उपभोक्ता समिति।
2. समिति के निबन्धक अधिकारी।

परिशिष्ट-8

जल उपभोक्ता समितियों के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नमूने एवं हस्ताक्षर संख्या

समिति का नाम.....नहर/कुलाबा संख्या.....पैतृक नहर.....खण्ड का नाम.....
.....

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	नमूना हस्ताक्षर	अभिप्रमाणित (सक्षम नहर अधिकारी का हस्ताक्षर)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

पंजीकरण पंजिका

समिति का स्तर-कुलाबा/अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा/शाखा/परियोजना
(जो लागू न हो काट दें)

1. खण्ड का नाम.....2. समिति का नाम.....3. पत्राचार का पता.....
.....4.पैतृक नहर का नाम..... 5. नहर का नाम/कुलाबा संख्या
..... 6. गठन का दिनांक..... 7. पंजीकरण संख्या..... 8.
पंजीकरण का दिनांक.....

प्रबन्धन समिति के सदस्यों के नाम व पद

क्रसं	नाम	पद	श्रेणी	निर्वाचित/सहयोजित	अभियुक्ति

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

रिक्त पद के सापेक्ष नये सदस्य का विवरण

क्रसं0	रिक्त पद	रिक्त होने का दिनांक	पूर्व सदस्य का नाम	रिक्त पद भरे जाने का दिनांक	नये सदस्य का नाम	रिक्ति का कारण

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर



जल उपभोक्ता समिति (निगमित निकाय)
का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र
(उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अधीन)

पंजीकरण संख्या.....

दिनांक.....

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि समिति को आज
उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की
धारा-3 के अन्तर्गत सम्यक् रूप से पंजीकृत किया गया है।

खण्ड का नाम.....

पैतृक नहर का नाम.....

रजिस्ट्रार

पदनाम.....



मुहर का प्रारूप

.....समिति की प्रबन्धन समिति को भंग करने की कार्यवाही

आज दिनांकको(स्थान का नाम) परसमिति की प्रबन्धन समिति को भंग किए जाने हेतुसमिति की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सक्षम नहर अधिकारी श्री.....द्वारा प्रबन्धन समिति के कार्य की मूल्यांकन एवं उनके द्वारा किए गये सहयोग की आख्या प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रबन्धन समिति के अक्षम होने के कारण इसे भंग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे—

क्र०सं०	सदस्य का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर

बैठक में उपस्थित उक्तसदस्यों में से(संख्या) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के समर्थन एवं(संख्या) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के विरोध में अपना मत दिया गया। बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या सामान्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या केप्रतिशत थी। प्रस्ताव को बहुमत द्वारा स्वीकार/अस्वीकार किया गया।

अतः दिनांकसे(समिति का नाम) समिति की प्रबन्धन समिति को उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम 28 के अन्तर्गत भंग किया जाता है।

सक्षम नहर अधिकारी

.....
.....
.....

प्रतिलिपि—

1. निर्वतमान अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समिति / ऊपरी जल उपभोक्ता समिति।
2. समिति के निबन्धक अधिकारी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।

.....समिति के सदस्य का त्यागपत्र

सेवा में,

अध्यक्ष,

.....समिति

.....

.....

विषय :-समिति की प्रबन्धन समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देना।

महोदय,

मैं,.....(नाम),खण्ड की.....पर गठित.....
.....समिति के(उपकमाण्ड/रीच का नाम) के सदस्य के रूप में
निर्वाचित/सहयोजित सदस्य हूँ।

मैं,.....
.....कारणों से मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में
असमर्थ होने के कारण उक्त पद से त्याग-पत्र दे रहा हूँ।

कृपया मेरा त्याग-पत्र स्वीकार करने का कष्ट करें।

.....

.....

नाम व हस्ताक्षर

प्रतिलिपि—सक्षम नहर अधिकारी

अध्यक्ष,.....समिति का त्यागपत्र

सेवा में,

अध्यक्ष,

.....समिति

.....

.....

विषय :-समिति के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र देना।

महोदय,

मैं,.....(नाम),समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित
अध्यक्ष हूँ।

मैं,.....

.....कारणों सेसमिति के अध्यक्ष
पद के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ होने के कारण मैं अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे रहा हूँ।

कृपया मेरा त्याग-पत्र स्वीकृत करने का कष्ट करें।

.....

.....

नाम व हस्ताक्षर

प्रतिलिपि- सक्षम नहर अधिकारी

.....प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य को वापस बुलाने की कार्यवाही

दिनांकको(समिति का नाम)..... (पता).....की प्रबन्धन समिति के सदस्य श्रीको वापस बुलाने की नोटिस सम्बन्धित (उप कमाण्ड...../..... रीच) (रीच.....) सदस्यों द्वारा दिए जाने के उपरान्त निबन्धक के निर्देशानुसार आज दिनांकको(स्थान) पर श्रीकोसमिति की प्रबन्धन समिति के सदस्य पद से वापस बुलाने हेतु सम्बन्धित उपकमाण्ड/पहुँच वाले समान्य सभा के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई तथा वापस बुलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बैठक में उप कमाण्ड.... /.....रीच के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

क्र०सं०	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर	अभियुक्ति

बैठक में उपस्थित कुल(संख्या) सदस्यों में से(संख्या) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के समर्थन में तथा.....(संख्या) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के विरोध में मत दिया गया। समिति के कुल सदस्यों की संख्या.....है। अतः श्री.....को प्रबन्धन समिति के सदस्यों के रूप में वापस बुलाने का प्रस्ताव बहुमत द्वारा पारित हुआ/पारित नहीं हुआ।

सक्षम नहर अधिकारी

.....
.....

प्रतिलिपि—

1. अध्यक्ष,प्रबन्धन समिति/ऊपरी जल उपभोक्ता समिति।
2. समिति के निबन्धक अधिकारी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।

उप-समितियों के सदस्यों के चयन हेतु योग्यता का निर्धारण

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम-21 के अन्तर्गत समिति की उप-समितियों के गठन हेतु कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आवश्यक व्यक्तियों की योग्यता निर्धारण के लिये..... समिति की प्रबन्धन समिति की बैठक आज दिनांक..... को पर सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न उप-समितियों में समाहित किये जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण प्रबन्धन समिति द्वारा निम्नानुसार किया गया :-

क्र०सं०	उप-समिति का नाम	उप-समिति के सदस्यों के चयन हेतु आवश्यक योग्यता	अभियुक्ति
1	निर्माण कार्य उप-समिति		
2	सिंचाई प्रबन्धन उप-समिति		
3	जाँच उप-समिति		
4	वित्तीय प्रबन्धन उप-समिति		

दिनांक..... कोपर योग्यता निर्धारण हेतु समिति की प्रबन्धन समिति की सम्पन्न बैठक में प्रबन्धन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें। प्रबन्धन समिति के सदस्यों की कुल संख्याहै।

नाम	हस्ताक्षर	नाम	हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष

प्रतिलिपि- सक्षम नहर अधिकारी।

उप-समिति का गठन

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम-21 के अन्तर्गत समिति की उप-समितियों के गठन हेतु आज दिनांक को प्रबन्धन समिति के सदस्यों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उप-समितियों के गठन हेतु अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों का अनुमोदन प्रबन्धन समिति द्वारा किया गया एवं तदोपरांत उप-समितियों का गठन निम्नानुसार किया गया :-

क्र०सं०	उप-समिति का नाम	उप-समिति के अध्यक्ष का नाम	उप-समिति के अन्य दो सदस्यों के नाम	सदस्यों का पता	मोबाइल नं०	अभियुक्ति
1	निर्माण कार्य उप-समिति					
2	सिंचाई प्रबन्धन उप-समिति					
3	जॉच उप-समिति					
4	वित्तीय प्रबन्धन उप-समिति					

उक्त बैठक में प्रबन्धन समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहें :-

नाम	हस्ताक्षर	नाम	हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सचिव

प्रतिलिपि-

1. सक्षम नहर अधिकारी
2. ऊपरी जल उपभोक्ता समिति ।
3. समिति के निबन्धक अधिकारी ।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

सामान्य सभा की बैठक

आज दिनांककोपरसमिति की सामान्य सभा की बैठक श्रीकी अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक में सामान्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

क्र०	सदस्य का नाम समिति जिसके सदस्य हैं	पद	हस्ताक्षर	सत्यापित नाम व हस्ताक्षर पर सही (✓)का निशान लगायें	सक्षम नहर अधिकारी का सत्यापन
1	2	3	4	5	6	7
1.		—	सक्षम नहर अधिकारी	—		बैठक में उपस्थित सदस्यों में से
2.					सदस्य सामान्य सभा के सदस्य हैं तथा
3.					 सदस्य सामान्य सभा के सदस्य नहीं हैं।
4.						
5.						
6.						

बैठक का कार्यवृत्त

.....
.....

हस्ताक्षर सचिव

ह० अध्यक्ष

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांककीसमिति की सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों का मिलान कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से कर लिया गया है जिसका विवरण कालम-6 एवं 7 में दिया गया है।

सक्षम नहर अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता।

फसल सीजन से पूर्व सामान्य सभा की बैठक से पूर्व फसली सीजन में
कराए गये कार्यों का विवरण

फसल सीजन.....

क्र०सं०	कार्य का नाम (वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार)	बजट प्राविधान (धनराशि)	स्वीकृति प्राक्कलन की धनराशि	कार्य का माध्यम (मास्टर रोल/कार्यादेश) अनुबन्ध	भुगतान की धनराशि	कार्य की स्थिति	अवशेष धनराशि	अभियुक्ति

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

अभियन्ता, समिति

सचिव, समिति

अध्यक्ष, समिति

सक्षम नहर अधिकारी/प्रतिनिधि

